डॉ अम्बेडकर प्रतिष्ठान
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय
भारत सरकार

***

डॉ. अम्बेडकर पीठ बनाने की योजना (2021-22 में संशोधित)

डॉ. भीमराव रामजी अम्बेडकर (1891-1956)

डॉ. भीमराव रामजी अम्बेडकर (1891-1956), जिन्हें प्यार से बाबासाहेब के नाम से जाना जाता है, भारत के सबसे प्रसिद्ध पुत्रों में से एक और एक महान राष्ट्रीय नेता हैं। उन्हें दलित हितों का समर्थक, एक प्रखर विद्वान, असाधारण राजनेता और एक दूरदर्शी व्यक्ति माना जाता है जिन्होंने आधुनिक राष्ट्र के निर्माण में बहुत योगदान दिया। डॉ. अंबेडकर ने भारत के इतिहास में एक मसीहा के रूप में एक अमिट छाप छोड़ी, जिन्होंने उत्पीड़ित जनता को बंधन से मुक्त किया और लाखों कमजोर और उत्पीड़ित वर्गों के लिए मानवाधिकार सुरक्षित किए, जो अपने सार में पथ-प्रदर्शक थे और स्वतंत्रता के स्मारकीय प्रयासों के लिए प्रयासरत थे। वह भारत के संविधान के मुख्य वास्तुकार थे, जिसमें बाबासाहेब ने उत्पीड़ित वर्गों के न्याय और सशक्तिकरण के लिए मुक्तिदायक प्रावधान छोड़े थे। उन्होंने भारत में कमजोर और दलित आबादी के न्याय और सशक्तिकरण के लिए संघर्ष का प्रतीक बनाया और एक न्यायपूर्ण समाज के निर्माण की आधारशिला रखी। बाबासाहेब के अभूतपूर्व विचारों के कारण ब्रिटिश शासन के दौरान भारतीय रिजर्व बैंक का गठन हुआ। एक श्रमिक नेता के रूप में, उन्होंने 'काम की स्थिति' के विपरीत 'श्रमिकों के जीवन की उचित स्थिति' के क्रांतिकारी विचार को बढ़ावा दिया, जिसने भारत में भविष्य के श्रम कानूनों की रूपरेखा प्रदान की। बाबासाहेब लैंगिक समानता के भी समर्थक थे। उन्होंने काम के घंटों को घटाकर प्रति सप्ताह 48 घंटे करने के लिए सुधारों की शुरुआत की, विभिन्न प्रकार के रोजगार में महिलाओं को शामिल करने पर लगे प्रतिबंध को हटा दिया और लिंग की परवाह किए बिना 'समान काम के लिए समान वेतन' के सिद्धांत को कोडित किया। हिंदू कोड बिल का उनका विचार मुक्तिदायक प्रकृति का था। बाबासाहेब ने महाड़ सत्याग्रह, खोती विरोधी आंदोलन और दलित बौद्ध आंदोलन जैसे आंदोलनों में अपनी भूमिका के माध्यम से एक समाज सुधारक के रूप में भी अमिट छाप छोड़ी।

2. विभिन्न विश्वविद्यालयों/शैक्षणिक संस्थानों में विषयवार पीठों का निर्माण करना

वर्ष 1992 में, बाबासाहेब डॉ. द्वारा शिक्षा पर एक उप-समिति की स्थापना की गई थी। बी.आर.अम्बेडकर शताब्दी समारोह समिति ने विषयवार "डॉ." की स्थापना के लिए एक योजना की सिफारिश की। विभिन्न विश्वविद्यालयों/संस्थानों में अम्बेडकर पीठ"।

3. योजना के उद्देश्य

विभिन्न विश्वविद्यालयों/संस्थानों में डॉ. अंबेडकर पीठ बनाने की योजना भारत के इस महान सपूत को उचित श्रद्धांजलि देने और बाबासाहेब डॉ. अंबेडकर की वर्तमान प्रासंगिकता का अध्ययन करने के लिए थी, जिसमें निम्नलिखित उद्देश्य शामिल हैं:

क. प्रमुख विश्वविद्यालयों और शैक्षिक संस्थानों में उन्नत शिक्षण केंद्र उपलब्ध कराना, जहाँ शिक्षाविद्, विद्वान और छात्र डॉ. बी.आर. अंबेडकर के विचारों को समझने, उनका आकलन करने, उनका प्रसार करने और उन्हें लागू करने के लिए अध्ययन और अनुसंधान को समृद्ध और उन्नत करेंगे।

ख. अनुसंधान में संलग्न होना और, परिणामस्वरूप, अध्ययन के इस क्षेत्र में ज्ञान के उन्नयन में योगदान देना, विशेष रूप से अर्थशास्त्र, राजनीति विज्ञान, धार्मिक अध्ययन, दर्शनशास्त्र, संवैधानिक अध्ययन,

शिक्षा, नृविज्ञान, समाजशास्त्र, सामाजिक कार्य, कानून, मानवाधिकार के साथ-साथ अन्य विषयों में, जो सामाजिक न्याय और अधिकारिता के हमारे राष्ट्रीय लक्ष्य की प्राप्ति के लिए प्रासंगिक माने जाते हैं।

ग. भारतीय समाज के वंचित वर्गों को न्याय दिलाने और उन्हें सशक्त बनाने के लिए उनके वर्तमान और अतीत पर उन्नत शोध और शिक्षण का संचालन करना। संबंधित विषयों में शोध और सीखने के विशिष्ट क्षेत्रों को डॉ. अंबेडकर प्रतिष्ठान और संबंधित विश्वविद्यालय/संस्थान द्वारा संयुक्त रूप से हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन में स्पष्ट किया जाएगा।

घ. समाज के हाशिए पर पड़े/उत्पीड़ित समूहों या पिछड़े वर्गों या कमजोर वर्गों के सामाजिक-आर्थिक और सांस्कृतिक जीवन के साथ-साथ जैविक पहलुओं पर अनुसंधान और उच्च अध्ययन करना।

ङ. अपने शोध कार्यों के परिणामों को यूजीसी-केयर सूची से सहकर्मी-समीक्षित अनुक्रमित पत्रिकाओं में विद्वानों के लेखों के रूप में प्रकाशित करना तथा मजबूत सहकर्मी-समीक्षा नीति वाले प्रतिष्ठित राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रकाशकों द्वारा प्रकाशित पुस्तकों के रूप में भी प्रकाशित करना।

च. भारतीय जनसंख्या के वंचित वर्गों के उत्थान के लिए डॉ. अंबेडकर के न्याय और सशक्तिकरण के विचारों को व्यावहारिक प्रस्तावों और नीतिगत साधनों में परिवर्तित करने के लिए उचित पद्धतियों का विकास करना।

4. अध्यक्षों का शैक्षणिक कार्य

ये पीठें न केवल डॉ. अंबेडकर के कार्यों और दर्शन से संबंधित विषयों पर बल्कि अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अल्पसंख्यकों, पिछड़े वर्गों और समाज के अन्य सामाजिक और आर्थिक रूप से कमजोर और उत्पीड़ित वर्गों के सामाजिक-आर्थिक और सांस्कृतिक जीवन के साथ-साथ जैविक पहलुओं से संबंधित मुद्दों पर भी अध्ययन और शोध के केंद्र के रूप में काम करेंगी। उपरोक्त उद्देश्यों के अनुसरण में, पीठों के पास निम्नलिखित शैक्षणिक कार्य होंगे:

क. वंचित लोगों के वर्तमान और अतीत पर शोध करना, कम से कम एक राष्ट्रीय स्तर के कार्यक्रम के साथ आबादी के कमजोर और उत्पीड़ित वर्ग के न्याय और सशक्तीकरण पर व्याख्यान, सेमिनार, संगोष्ठी, कार्यशालाएं और अन्य समान शैक्षणिक गतिविधियों का आयोजन करना।

ख. तालिका अनुसंधान कार्य के अतिरिक्त अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अल्पसंख्यक/कमजोर वर्ग/महिला/ट्रांसजेंडर आदि से संबंधित समसामयिक समस्याओं और मुद्दों से संबंधित क्षेत्र अनुसंधान कार्य में संलग्न होना।

ग. गुणवत्तापूर्ण अनुसंधान आरंभ करना, जो समकक्ष-समीक्षित पत्रिकाओं (अनुक्रमित या यूजीसी-केयर सूची में) में विद्वत्तापूर्ण लेखों तथा पीठों द्वारा पुस्तकों/पुस्तक अध्यायों के रूप में प्रकाशनों द्वारा प्रतिबिंबित हो, तथा प्रत्येक पीठ से प्रति वर्ष दो ऐसे प्रकाशन करने की अपेक्षा की जाती है।

घ. चेयर के प्रमुख क्षेत्रों के अनुसार शोध में डॉक्टरेट छात्रों का पर्यवेक्षण करना।

ङ. अनुसंधान निधि प्राप्त करने के लिए निर्धारित प्रारूप में अनुसंधान प्रस्ताव प्रस्तुत करना, जिसका मूल्यांकन डॉ. अम्बेडकर प्रतिष्ठान की अनुसंधान मूल्यांकन समिति द्वारा किया जाएगा तथा वित्तपोषण के लिए चयन किया जाएगा

च. उच्च शिक्षा में शिक्षकों के लिए अल्पकालिक जागरूकता और क्षमता निर्माण कार्यक्रमों को डिजाइन और क्रियान्वित करना, जो चेयर के प्रमुख क्षेत्रों सहित उद्देश्यों पर केन्द्रित हों।

छ. पीठ के महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर समन्वय करना तथा विचार मंच उपलब्ध कराना, तथा सरकार और अन्य राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय गैर सरकारी संगठनों जैसे अन्य क्षेत्रों के शैक्षिक विशेषज्ञों से विशेषज्ञता और इनपुट प्राप्त करना।

ज. विश्वविद्यालयों/संस्थाओं/सरकारी एजेंसियों/गैर-सरकारी एजेंसियों को शामिल करते हुए अनुसंधान नीति स्तर के संवाद, चर्चा बैठकों, ग्रीष्मकालीन/शीतकालीन संस्थानों के लिए एक मंच प्रदान करना।

झ. मूल विश्वविद्यालय/संस्थान के विभाग के शिक्षण एवं पीएच.डी. कार्यक्रम में भाग लेना।

ञ. चेयर द्वारा आयोजित व्याख्यानों/सेमिनारों/संगोष्ठियों की कार्यवाही को संपादित पुस्तक के रूप में प्रकाशित करना तथा प्रत्येक चेयर से प्रति वर्ष कम से कम एक ऐसी पुस्तक प्रकाशित करने की अपेक्षा की जाती है।

ट. अनुसंधान आउटपुट और अन्य गतिविधियों को नियमित रूप से अपलोड करने के लिए अपनी स्वयं की वेबसाइट बनाए रखना।

5. चेयर प्रोफेसर और चेयर के कर्मचारी

ए. चेयर प्रोफेसर

क्र.स.	पद का नाम	पदों की संख्या	वेतनमान
1.	चेयर प्रोफेसर	एक	समय-समय पर यू.जी.सी दिशानिर्देश के तहत शैक्षणिक स्तर 14 पर (7वें सीपीसी के सेल I के अनुसार)

बी) अध्यक्ष का स्टाफ

उपर्युक्त उद्देश्यों को पूरा करने तथा समुचित कार्यप्रणाली के लिए विभिन्न विश्वविद्यालयों/शैक्षणिक संस्थानों में स्थापित प्रत्येक पीठ में निम्नलिखित कर्मचारी होंगे:

क्र.स.	पद का नाम	पदों की संख्या	वेतनमान
1.	सहायक प्रोफेसर	एक	समय-समय पर यूजीसी दिशानिर्देश के तहत शैक्षणिक स्तर 10 पर (7वें सी.पी.सी के सेल I के अनुसार)
2.	डॉक्टरल फेलो	दो	रु. 35,000.00 प्लस एच.आ.र.ए प्रति माह

6. **चेयर प्रोफेसर और चेयर में स्टाफ की नियुक्ति**

चेयर प्रोफेसर और सहायक प्रोफेसर के पदों पर नियुक्ति यूजीसी के दिशा-निर्देशों के अनुसार संबंधित विश्वविद्यालय/संस्थान में नियमित प्रोफेसरों के संबंध में अपनाई गई प्रक्रिया के अनुसार की जाएगी। चेयर प्रोफेसर और सहायक प्रोफेसर के लिए चयन समिति में डॉ. अंबेडकर प्रतिष्ठान का एक प्रतिनिधि शामिल होगा। चेयर यानी सहायक प्रोफेसर के स्टाफ के चयन के लिए चेयर प्रोफेसर चयन समिति के सदस्यों में से एक होगा।

इस प्रकार नियुक्त किए गए चेयर प्रोफेसर और सहायक प्रोफेसर बाकी संकाय सदस्यों को मिलने वाले सभी विशेषाधिकारों के लिए पात्र होंगे, जैसे कि सीनेट, सिंडिकेट और विश्वविद्यालय/संस्थान के विभिन्न शैक्षणिक और अन्य निकायों/परिषदों की सदस्यता। जहाँ तक संभव हो, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़े वर्ग या समाज के अन्य सामाजिक और आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्गों से संबंधित व्यक्तियों को चेयर प्रोफेसर और सहायक प्रोफेसर के रूप में चुने जाने पर प्राथमिकता दी जा सकती है।

क . चेयर प्रोफेसर

संबंधित अनुशासन/विषय में पर्याप्त योग्यता रखने वाले व्यक्ति को ही चेयर के प्रोफेसर के रूप में नियुक्त किया जाएगा। उन्हें समय-समय पर अधिसूचित यूजीसी विनियमों और संबंधित विश्वविद्यालय/संस्थान द्वारा समय-समय पर अपनाए गए अनुसार पूर्णकालिक प्रोफेसर का चयन करने के लिए लागू समान प्रक्रिया का पालन करके नियुक्त किया जाएगा। किसी भी सेवानिवृत्त व्यक्ति को चेयर पर नियुक्त नहीं किया जाएगा। इस संबंध में अपनाई जाने वाली शैक्षणिक योग्यताएं, अनुभव, आयु सीमा आदि, समय-समय पर अधिसूचित यूजीसी विनियमों और संबंधित विश्वविद्यालय/संस्थान द्वारा समय-समय पर अपनाए गए अनुसार प्रोफेसर के पद पर चयन के लिए लागू होने वाली योग्यताओं के समान होंगी। प्रोफेसर के पास डॉ. अंबेडकर के विचारों और कार्यों का पर्याप्त ज्ञान और कार्य अनुभव होना चाहिए और सामाजिक न्याय के लिए एक सिद्ध प्रतिबद्धता होनी चाहिए।

ख. सहायक प्रोफेसर

विश्वविद्यालय में सहायक प्रोफेसर के पद और स्केल में सहायक प्रोफेसर की भर्ती और नियुक्ति यूजीसी विनियमों के अनुसार सहायक प्रोफेसर के पद पर भर्ती के लिए लागू उसी प्रक्रिया का पालन करके की जाएगी जो समय-समय पर अधिसूचित की जाती है और जैसा कि संबंधित विश्वविद्यालय/संस्थान द्वारा समय-समय पर अपनाया जाता है। सहायक प्रोफेसर के लिए सेवा मामलों में लागू सभी नियम और शर्तें, जिसमें विश्वविद्यालय/संस्थान में पदोन्नति भी शामिल है, चेयर से जुड़े सहायक प्रोफेसर पर भी लागू होंगी। सहायक प्रोफेसर चेयर के प्रोफेसर की समग्र देखरेख में काम करेंगे।

विभिन्न विश्वविद्यालयों/संस्थानों में डॉ. अंबेडकर चेयर के अंतर्गत कार्यरत अनुसंधान अधिकारियों को 01/04/2022 से या उस विश्वविद्यालय/संस्थान में समझौता ज्ञापन के अधिनियमित होने की तिथि से, जो भी बाद में हो, सहायक प्रोफेसर के रूप में पुनः नामित किया जाएगा, बशर्ते वे न्यूनतम पात्रता के यूजीसी मानदंडों को पूरा करते हों।

सी. डॉक्टरल फेलो

संबंधित विश्वविद्यालय/संस्थान के मौजूदा मानदंडों और चेयर के महत्वपूर्ण क्षेत्रों तथा शोध के आधार पर दो डॉक्टरल फेलो का चयन किया जाएगा डॉक्टरल फेलोशिप के लिए पात्र चेयर प्रोफेसर की विशेषज्ञता चयन योग्यता और हाशिए पर पड़े समुदायों के लिए कार्य के प्रस्ताव के आधार पर किया जाना चाहिए (विवरण के लिए अनुलग्नक-II देखें)

7. **निगरानी**

उद्देश्यों के कामकाज की निगरानी के लिए, इसके प्रमुख क्षेत्रों सहित, निम्नलिखित समितियाँ गठित की जाएंगी और तदनुसार कार्य करेंगी:

(ए) डॉ. अम्बेडकर प्रतिष्ठान द्वारा गठित की जाने वाली "समीक्षा-सह-मूल्यांकन समिति" में विश्वविद्यालय के कुलपति या उनके द्वारा नामित व्यक्ति, रजिस्ट्रार, चेयर के महत्वपूर्ण क्षेत्र से अकादमिक ख्याति प्राप्त एक व्यक्ति और विभागाध्यक्ष (यदि लागू हो) शामिल होंगे, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि चेयर, चेयर योजना के तहत प्रावधान के अनुसार काम कर रही है। चेयर प्रोफेसर बैठक में उपस्थित रहेंगे। समिति वर्ष में दो बार बैठक करेगी और निदेशक डॉ. अम्बेडकर प्रतिष्ठान को वार्षिक प्रदर्शन और अनुसंधान परिणाम रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी।

(बी) "प्रदर्शन मूल्यांकन समिति" में डॉ. अम्बेडकर प्रतिष्ठान के सदस्य सचिव, डॉ. अम्बेडकर प्रतिष्ठान के निदेशक, एक प्रदर्शनकारी चेयर के चेयर प्रोफेसर और डॉ. अंबेडकर चेयर की योजना की देखरेख करने वाला व्यक्ति डॉ. अम्बेडकर प्रतिष्ठान के संपादक शामिल होंगे, जिसकी बैठक साल में एक बार होगी। चेयर को जारी रखने या बेहतर प्रदर्शन के लिए अधिसूचित करने सहित समिति के निर्णयों को कुलपतियों के साथ-साथ विश्वविद्यालय/संस्थानों के रजिस्ट्रार और चेयर प्रोफेसर को अनुवर्ती कार्रवाई के लिए सूचित किया जाएगा।

8. **वार्षिक रिपोर्ट, लेखापरीक्षित उपयोगिता प्रमाणपत्र और खातों का विवरण प्रस्तुत करना**

चेयर प्रत्येक वर्ष की जाने वाली शैक्षणिक गतिविधियों पर प्रकाश डालते हुए वार्षिक रिपोर्ट प्रकाशित करेगी। संबंधित विश्वविद्यालय/संस्थान प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए शैक्षणिक गतिविधियों के व्यय और अन्य संबंधित सूचनाओं की लेखापरीक्षित रिपोर्ट संप्रेषित करेगा। विश्वविद्यालय/संस्थान/विभाग, अंतिम सीएजी/स्थानीय निधि लेखापरीक्षा रिपोर्ट/संस्थागत लेखापरीक्षा (जैसा कि उन पर लागू हो) लंबित रहने तक, शैक्षणिक गतिविधियों के लिए 20.00 लाख के अनुदान को शीघ्र जारी करने की सुविधा के लिए अंतरिम दस्तावेज के रूप में चार्टर् एकाउंटेंट द्वारा जारी उपयोगिता प्रमाण पत्र चेयर को प्रस्तुत कर सकते हैं। चेयर अगले वर्ष के लिए अनुदान जारी करने से पहले फाउंडेशन को अगले वर्ष के लिए वार्षिक कार्य योजना भी प्रस्तुत करेगा। शोध परियोजनाओं, सेमिनार/कार्यशालाओं, व्याख्यानों, चर्चाओं, प्रशिक्षण कार्यक्रमों आदि के लिए विषय अगले वित्तीय वर्ष की शुरुआत से पहले प्रतिष्ठान के परामर्श से तय किए जा सकते हैं। चेयर प्रत्येक वर्ष अप्रैल के पहले सप्ताह में वार्षिक शैक्षणिक प्रगति योजना प्रस्तुत कर सकते हैं।

9. **अध्यक्षों के स्टाफ के लिए वित्तपोषण और अन्य वित्तपोषण**

डीएएफ डॉ. अंबेडकर चेयर रखने वाले विश्वविद्यालयों/संस्थानों को अनुदान के रूप में चेयर के कर्मचारियों के वेतन और अन्य वित्तीय लाभों का भुगतान करेगा। डॉ. अम्बेडकर प्रतिष्ठान डॉक्टरेट फेलो की फेलोशिप राशि और अन्य वित्तीय लाभों का भुगतान करेगा। योजना के साथ-साथ समझौता ज्ञापन के तहत शैक्षणिक गतिविधियों को चलाने के लिए प्रत्येक चेयर को अनुदान के रूप में प्रति वर्ष 20.00 लाख रुपये की राशि प्रदान की जाएगी। निधियां हर साल अग्रिम रूप से जारी की जाएंगी, और विश्वविद्यालय/संस्थान इन निधियों को इस योजना के अनुलग्नक आई.सी में दिखाए गए अनुसार चेयर के मामलों को चलाने के अलावा किसी अन्य उद्देश्य के लिए नहीं बदलेंगे। जिन व्यापक शीर्षों/मदों के तहत वार्षिक अनुदान खर्च किया जाएगा, उन्हें योजना के अनुलग्नक- । में दिखाया गया है। जहां तक संभव हो, निधियों का उपयोग प्रत्येक उप-शीर्ष के तहत निर्धारित सीमा तक ही सीमित होना चाहिए

10. **नई पीठों की स्थापना के लिए वित्तपोषण**

चेयर की स्थापना को सुविधाजनक बनाने के लिए, प्रत्येक चेयर की 'प्रारंभिक स्थापना' के समय प्रत्येक चेयर को 10.00 लाख रुपये का एकमुश्त अनुदान जारी किया जाएगा। 10.00 लाख रुपये के इस अनुदान का उपयोग फर्नीचर, एयर-कंडीशनर, बुकशेल्फ़, कंप्यूटर, स्कैनर, वेबकैम, स्पीकर, किताबें आदि जैसे आवश्यक उपकरण खरीदने और वेबसाइट लॉन्च करने के लिए किया जाएगा।

11. **चेयर के लिए अतिरिक्त अनुसंधान निधि**

डीएएफ डॉ. अंबेडकर चेयर्स से अनुसंधान प्रस्तावों को वित्तपोषित करने के लिए हर साल 1.00 करोड़ रुपये आवंटित करेगा, जो प्रतिस्पर्धी आधार पर और प्रस्ताव की योग्यता के आधार पर प्रदान किए जाएंगे। प्रस्ताव वंचित लोगों के सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक और जैविक पहलुओं के वर्तमान और अतीत तथा आबादी के कमजोर और उत्पीड़ित वर्ग के न्याय और सशक्तिकरण पर क्षेत्र-आधारित शोध पर आधारित होने चाहिए। यह निधि केवल डॉ. अंबेडकर चेयर्स और उनकी

टीमों के लिए उपलब्ध होगी। चेयर्स से प्राप्त अनुसंधान प्रस्तावों का मूल्यांकन फाउंडेशन की अनुसंधान मूल्यांकन समिति द्वारा किया जाएगा।

12. **विश्वविद्यालयों/संस्थानों द्वारा दी जाने वाली सुविधाएं**

डॉ. अंबेडकर चेयर भारत सरकार द्वारा स्थापित सबसे प्रतिष्ठित चेयर में से एक है। ये चेयर केवल भारत के प्रतिष्ठित और प्रमुख विश्वविद्यालयों/संस्थानों में स्थापित की गई हैं। संबंधित विश्वविद्यालयों/संस्थानों में इस चेयर की स्थापना और रखरखाव आवश्यक बुनियादी ढाँचागत सुविधाएँ प्रदान करने के अधीन है, जिसमें निम्नलिखित शामिल हैं और ये यहीं तक सीमित नहीं हैं:

क. विश्वविद्यालय/संस्थान प्रशासन को गतिविधियों के समन्वयन तथा जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए निश्चित प्रावधानों के साथ स्वायत्तता प्रदान करना।

ख. पुस्तकालय, शोध कार्य और अन्य गतिविधियों के लिए आवश्यक स्थान और अन्य बुनियादी ढांचे का प्रावधान करना, जैसा कि उद्देश्यों में उल्लिखित है, जिसमें चेयर प्रोफेसर के लिए एक कमरा, सहायक प्रोफेसर के लिए एक कमरा, एक कार्यालय कक्ष, एक बैठक कक्ष, कम से कम पांच डॉक्टरेट फेलो के लिए काम करने की बुनियादी संरचना के साथ एक विद्वान कक्ष और विभाग/केंद्र के भीतर एक छोटा कक्षा-सह-सम्मेलन कक्ष शामिल है, जिसमें समय-समय पर आवश्यकतानुसार चेयर स्थापित की जाती है।

ग. उपरोक्त सभी कमरों में पुस्तकालय तक ऑनलाइन पहुंच के साथ-साथ पर्याप्त हाई-स्पीड ब्रॉड बैंड, इंटरनेट और कनेक्शन उपलब्ध कराना, विश्वविद्यालय के भीतर कनेक्टिविटी के लिए इंटरकॉम सुविधा और समय-समय पर आवश्यक अन्य सुविधाएं प्रदान करना।

घ. चेयर के सुचारू संचालन के लिए आवश्यकतानुसार ऑडिटोरियम, सेमिनार कक्ष, सम्मेलन कक्ष और अन्य बुनियादी सुविधाएं प्रदान करना।

13. **योजना के प्रबंधन में डॉ. अंबेडकर फाउंडेशन की भूमिका**

क. समय-समय पर संबंधित विश्वविद्यालयों/संस्थानों के साथ हस्ताक्षरित किए जाने वाले समझौता ज्ञापन के अनुपालन में डॉ. अंबेडकर पीठों की स्थापना और प्रबंधन करना।

ख. समय-समय पर संबंधित विश्वविद्यालयों/संस्थानों के साथ हस्ताक्षरित किए जाने वाले समझौता ज्ञापन के अनुपालन में नियमित वित्त पोषण प्रदान करना।

पहले निष्पादित और संचालन में सभी समझौता ज्ञापनों के अधिक्रमण में, यह प्रस्ताव 1 अप्रैल 2022 को या उसके बाद निष्पादित किए जाने वाले समझौता ज्ञापन के हिस्से के रूप में प्रभावी होगा, जब तक कि इसमें आगे संशोधन न किया जाए।

Annexure I

अध्यक्ष के अधीन प्रमुखों/उप-प्रमुखों का विवरण, वार्षिक अनुदान का उपयोग अध्यक्षों द्वारा किया जाएगा

	प्रमुख वेतनमान	परिलब्धियाँ/अनुदान
A. चेयर प्रोफेसर का वेतन		
1. चेयर प्रोफेसर		
	यूजीसी के तहत शैक्षणिक स्तर 14 पर समय-समय पर दिशानिर्देश (जैसा कि 7वीं के सेल I में है)। सी.पी.सी)	
B. अध्यक्ष के कर्मचारियों का वेतन		
2. सहायक प्रोफेसर	यूजीसी के तहत शैक्षणिक स्तर 10 पर समय-समय पर दिशानिर्देश (जैसा कि 7वीं के सेल I में है)।(सी.पी.सी)	Rs. 55,00,000/-
3. 3. चिकित्सक अल साथ	रु. 35,000.00 प्लस एच.आरए	
वेतन के लिए कुल अनुदान (ए+बी)		रु. **55,00,000/-**

C. अध्यक्ष की गतिविधियाँ

1. अनुसंधान कार्य (दीर्घकालिक/अल्पकालिक और क्षेत्र-आधारित) अध्यक्ष प्रोफेसर और उनकी टीम द्वारा संचालित किया जाएगा	6,00,000/-
2. पीजी और पीएचडी के माध्यम से क्षेत्र-आधारित अनुसंधान। के अंतर्गत छात्र चेयर प्रोफेसर की देखरेख	4,00,000/-
3. सेमिनार/कार्यशाला/उत्सव का आयोजन डॉ. अम्बेडकर और अन्य संतों के जन्मदिन आदि।	1,00,000/-
4. व्याख्यान आदि सहित व्याख्यान।	50,000/-
5. पुस्तकों/लेखों/पत्रिकाओं/अन्य विद्वानों का प्रकाशन सामग्री (इलेक्ट्रॉनिक और हार्डकॉपी)	1,50,000/-
6. जागरूकता/विस्तार/प्रशिक्षण/शिक्षण कार्यक्रम (ऑनलाइन और ऑफलाइन)	50,000/-
7. सेमिनार/सम्मेलनों/बैठकों में भागीदारी अध्यक्ष प्रोफेसर और उनके कर्मचारी	2,00,000/-
8. पुस्तकों/पत्रिकाओं/संसाधन सामग्री/अनुसंधान की खरीद और शिक्षण सहायता/सॉफ्टवेयर	50,000/-
10. अंतर-अध्यक्ष सहयोगात्मक कार्यक्रम	50,000/-
11. उपकरण मरम्मत/रखरखाव के लिए सेवाएं किराए पर लेना, वेबसाइट रखरखाव, नेटवर्किंग, कंप्यूटिंग, आदि।	2,00,000/-
12. आकस्मिकता	1,00,000/-
कुल	**Rs. 20,00,000/-**
कुल योग (ए + बी + सी का कुल)	**Rs. 75,00,000/-**

डॉ. अम्बेडकर पीठ के तहत डॉक्टरेट फैलोशिप

1. सहायता की प्रकृति

सहायता की प्रकृति	डॉक्टरेट फेलो
अवधि	3+1 साल
1) 3000/- की वार्षिक वृद्धि के साथ मासिक फ़ेलोशिप	35,000/-
2) एचआरए प्रति माह	6,000/-
3) शारीरिक रूप से अक्षम और नेत्रहीन उम्मीदवारों (दिव्यांगों) के मामले में प्रति माह एस्कॉर्ट्स / रीडर सहायता	3,000/-

2) लक्षित लाभार्थी

बी) उम्मीदवार पीएच.डी के लिए पंजीकृत हैं। मूल विश्वविद्यालय/संस्थान से डिग्री और अध्यक्ष के अधीन प्रोफेसर फेलोशिप के लिए आवेदन करने के पात्र होंगे।

ग) यह योजना सामाजिक-आर्थिक परिवर्तन के लिए समर्पित है, जिसमें हाशिए पर रहने वाले और सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े समूह शामिल हैं। इसलिए, जहां तक संभव हो, डॉक्टरेट फेलो के रूप में चयनित होने पर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग या समाज के अन्य कमजोर वर्गों से संबंधित व्यक्तियों को प्राथमिकता दी जा सकती है।

घ) चयन मानदंड के अनुसार महिला उम्मीदवारों के चयन के लिए उचित प्रयास किया जाएगा।

3) **शोध विषय**

शोध का विषय वंचित लोगों के सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक और जैविक पहलुओं के वर्तमान और अतीत तथा आबादी के कमजोर और उत्पीड़ित वर्ग के न्याय और सशक्तिकरण पर होना चाहिए। अनुसंधान क्षेत्र-आधारित होना चाहिए और इसकी देखरेख चेयर प्रोफेसर द्वारा की जानी चाहिए.

2) मापने योग्य संकेतक

चेयर प्रोफेसर निम्नलिखित मूल्यांकन पद्धति के माध्यम से शोधकर्ता के कार्य का मूल्यांकन करेंगे:

i. मैं।छह महीने (क्षेत्र कार्य और साहित्य समीक्षा की तैयारी)
ii. द्वितीय. दूसरे छह महीने (प्रगति रिपोर्ट और एक शोध पत्र का प्रकाशन)
iii. तीसरे छह महीने (फील्डवर्क और शोध का मसौदा सारांश तैयार करना)
iv. चौथे छह महीने (फील्डवर्क, अनुसंधान और प्रगति रिपोर्ट का सारांश तैयार करना)
v. पाँचवाँ छः महीना (प्री-सबमिशन प्रस्तुति/थीसिस लेखन और शोध पत्र का प्रकाशन
vi. vi. छठा छह महीना (थीसिस प्रस्तुतिकरण)

3) फैलोशिप अवधि

डॉक्टरेट अध्येताओं को तीन साल के लिए फ़ेलोशिप मिलेगी, जिसे चरम आधार पर एक वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है और काम की संतोषजनक प्रगति तक, चेयर प्रोफेसर द्वारा औचित्य और निदेशक, डीएएफ के अनुमोदन के साथ विधिवत प्रमाणित किया जाएगा। विस्तार का प्रस्ताव, यदि कोई हो, फेलोशिप पूरा होने के छह महीने से पहले चेयर प्रोफेसरों के माध्यम से निदेशक डीएएफ को भेजा जाएगा।